

कार्यालय बागपत-बडीत-खेकड़ा विकास प्राधिकरण, बागपत।

पत्रक संख्या-32 / बागपत / बालवत्तेलिंगपाठ / मानोन्मूल / 2023-24 दिनांक 01/01/2024

श्री/ श्रीमती/ मौजूद अधमद हमीद पुत्र स्थ० कोकब हमीद, निवासी-130मीठ सिविल लाईन मेरठ, श्री आशीष कुमार पुत्र श्री गंगाराम, श्री शीताराम पुत्र श्री रिताल सिंह एवं श्रीमती धनवंती पत्नी श्री गंगाराम निवासी-आर०लैंड 217/ १३, जे ब्लॉक बैस्ट सामरग्रे, सातारा बैस्ट दिल्ली

आपको पत्र दिनांक 29.08.2022 शमन मानवित सं०-32/बागपत/2022-23 का सन्दर्भ में आपको प्रस्तावित एक ज्ञानवित्त तत्वपत्र मानवित्त(भारत शिरी) प्रयोग हेतु को स्वीकृत्वा/कालीनी/हाथ लगाया-326, 327, 329, 330, 331, 332, 333, 346 एवं 347 अन्दर हमें बागपत निरीजननु रोड बागपत, जनपद बागपत में निम्नलिखित शर्तों के साथ ००५० लगर योजना एवं विकास अधिनियम की पारा-31(1) के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान की जाती है। स्वीकृत मानवित्त संबंधमें है।

१. यह ज्ञानवित्त अनुमति दिनांक से केवल पौंच वर्ष तक वैध रहना जायेगा। उसका अवधि में निर्माण कार्य पूर्ण न होने की दशा में एक वर्ष की बढ़ोत्तरी दो बार पृष्ठ-२ आवेदन करने पर दी जा सकती है।
२. मानवित्त की स्वीकृति से किसी भी शासकीय विभाग स्थानीय निकाय अथवा किसी व्यक्ति के स्वत्व एवं स्वामित्व पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।
३. जिस प्रयोजन के लिए निर्माण की अनुमति दी जा रही है, उसने उसी प्रयोग में लाया जायेगा। विपरीत प्रयोग ००५० लगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की पारा-26 के अधीन दण्डनीय है।
४. ००५० लगर योजना एवं विकास अधिनियम की पारा-35 के अन्तर्गत यदि भविष्य में सुधार कार्य हेतु कोई सुधार ज्ञान मांगा जायेगा तो बिना किसी आपत्ति के देय होगा।
५. जो हाँच भुग्न विकास कार्य में उपयुक्त नहीं होगा वहाँ प्राधिकरण अथवा किसी स्थानीय निकाय की विकास कार्य करने की जिम्मेदारी नहीं होगी।
६. स्वीकृत मानवित्त का सेट निर्माण स्थल पर रखना होगा ताकि मौके पर कभी भी जीव की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानवित्त के अनुसार कराया जायेगा।
७. आप भवन उप-नियमो के नियम 21 के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र पर कार्य आरम्भ करने की सूचना देंगे।
८. निर्माण की अवधि यदि स्वीकृत मानवित्त के विलङ्घ यदि कोई परिवर्तन आवश्यक है तो उसकी पूर्ण अनुमति प्राप्त करने के बाद ही परिवर्तन किया जायेगा।
९. निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर एक माह की अवधि के भीतर भवन उप-नियमो में निर्धारित प्रपत्र पर निर्माण पूरा होने का प्रमाण पत्र प्राप्त करें।
१०. प्राधिकरण के अध्यासन (औकूपै-न्ही) प्रगाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही भवन को अद्यासित (ओकूयापायी) करें।
११. स्थल पर निर्माण के समय किसी भी दुघटना आदि की समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
१२. भूकम्पसेवी निर्माण हेतु लिटल बैड तथा ब्रिक वर्क में आवश्यक सरिया आदि की व्यवस्था आवेदक द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
१३. उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करने पर या कोई उच्च उपाकर मानवित्त स्वीकृत करने पर मानवित्त निरस्त करने का अधिकार प्राधिकरण सुरक्षित रखता है।
१४. ००५० लगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 के अन्तर्गत किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में प्राधिकारों के अनुरूप अध्यक्ष का निर्णय अनितम एवं मान्य होगा। जिसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी।

इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन ००५० लगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की पारा-26 के अधीन दण्डनीय होगा।

नोट-पूर्व प्रेषित पत्र दिनांक 01.02.2023 में वर्णित शर्तें जामू रहेंगी।

संलग्नक - स्वीकृत मानवित्त के पुत्र।

प्रतिलिपि - हाँचीय अवर अग्निता आवश्यक कार्यवाली हेतु।

21/24
अपर जिलाधिकारी(पिं/रा०)/सचिव,
बागपत-बडीत-खेकड़ा
विकास प्राधिकरण, बागपत।